भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1311**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
एसएमई की संभावित वृद्धि क्षमता

1311. डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में विनिर्माण और कपड़ा क्षेत्र की उच्च क्षमता को देखते हुए इस क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंजाब में युवाओं को नवीनतम उद्योग-उपयुक्त कौशल में प्रशिक्षण के लिए कोई केंद्रीय सहायता उपलब्ध है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजनाओं के तहत और कितने लाभार्थियों को सहायता दी गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई चैंपियंस योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एस्पायर), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएसएमई), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत लाभ पंजाब सहित देश भर में सभी पात्र एमएसएमई के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना एमएसएमई की एक केंद्रीय क्षेत्र की सतत योजना है। इसका उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता संस्कृति को विकसित करना है। पिछले वित्तीय

वर्ष, 2023-24 में, एमएसएमई की उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना के तहत, देश भर में कुल 7,496 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे लगभग 3.5 लाख प्रशिक्षु लाभान्वित हुए। पंजाब में, ईएसडीपी योजना के तहत, कुल 448 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 2020-21 से 2024-25 (अब तक) के दौरान 26282 प्रशिक्षु लाभान्वित हुए। पंजाब में ईएसडीपी योजना की वर्षवार प्रगति नीचे सारणीबद्ध है: -

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	**आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (पंजाब में)**	**लाभार्थियों की कुल संख्या (पंजाब में)**
1.	2020-21	20	1255
2.	2021-22	22	2447
3.	2022-23	126	7269
4.	2023-24	194	10368
5.	2024-25 (28.11.2024 तक)	86	4943
	कुल	**448**	**26282**

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं के उद्योग से संबंधित कौशल विकास के लिए 2015 से अपनी प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) क्रियान्वित कर रहा है। 'स्किल इंडिया प्रोग्राम' की अम्ब्रेला योजना के तहत पीएमकेवीवाई 4.0 को वित्त वर्ष 2022-2026 के बीच क्रियान्वित किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक हैं, अर्थात् अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल)। पीएमकेवीवाई-एसटीटी के तहत, उम्मीदवारों को देश भर में सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जबकि पीएमकेवीवाई-आरपीएल घटक के तहत, पूर्व सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और अभिविन्यास या ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। पीएमकेवीवाई योजना के तहत, 2015 से 30.6.2024 तक, 1.48 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। इसके अलावा, रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए एक आकांक्षी मूल्य बनाने के साथ उच्च गुणवत्ता के उद्योग-संचालित पाठ्यक्रम चलाने के लिए देश भर में प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) की स्थापना की गई है। 30.6.2024 तक, 508 पीएमकेके प्रचालनरत हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युतकरघा सेवा केन्द्र, अमृतसर और नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (नाइट्रा) विद्युतकरघा सेवा केन्द्र, लुधियाना ने भी पंजाब राज्य में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 2020-21 से 2023-24 की अवधि में कुल 240 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

******